संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य

प्रस्तावना

इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कराया गया है जिसमें उन समस्त सूचनाओं का संकलन है जो परिषद् के विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे है क्रिया–कलापों से सम्बन्धित है और जिनकी समय–समय पर जनता द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकती जनता द्वारा मांग करने पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी। हस्त पुस्तिका में अनेक ऐसी सूचनायें भी संकलित है जिनमें समय–समय पर संशोधन अथवा अद्यतन किये जाने की आवश्यकता होगी जैसे– वे विकास योजनायें जो वर्तमान में या तो प्रस्तावित है अथवा चालू है। इनके पूर्ण होने पर उनका समावेश इस हस्त पुस्तिका में किया जाता रहेगा। इसी प्रकार किसी अन्य नियम/ विनियम आदि में परिवर्तन/संशोधन होने की दशा में तद्नुसार मैनुअल में भी संशोधन किया जायेगा। इस प्रकार इस मैनुअल के माध्यम से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के कार्यो में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समस्त कार्य जनता को प्रतीक मानकर किये जाते है और जनता के हितार्थ ही किये जाते है। ऐसे में यह परम आवश्यक हो जाता है कि जनता जनार्दन के लिये किये गये अथवा किये जा रहे कार्य स्पष्टतः जनता के संज्ञान में भी हो, तभी उन कार्यो का जनता के लिये महत्व है। व्यक्ति चूंकि जनता, समाज और वर्ग की प्रथम इकाई है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होना चाहिये कि उसके मत से चूनी गई सरकार उसके लिये क्या कर रही है, तभी लोकतांत्रिक सरकार का यह औचित्य पूर्ण हो सकता है कि ''प्रजातंन्त्र वह सरकार है जो जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिये है'' अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005'' बनाया गया है। इसी के निहितार्थ यह सूचना मैनुअल उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें विभागीय उन सभी सूचनाओं का संकलन है, जिनकी जनता द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जा सकती है और मांगे जाने पर जनता के किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकती है।

मैनुअल का उद्देश्य

इस मैनुअल के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा पारित 'सूचना का अधिकार अधिनियम–2005' के अन्तर्गत जनता के किसी व्यक्ति, वर्ग, संस्था द्वारा परिषद के क्रियाकलापों की लिखित जानकारी स्वतः इस प्रकार व इतनी उपलब्ध कराना है कि जनसाधारण को भी इस मैनुअल के प्रकाशन के

उपरान्त परिषद से कम से कम सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत लेने की आवश्यकता हो। यह प्रथम मैनुअल है आगे इसे समय–समय पर संशोधित व परिमार्जित कर और जनपयोगी बनाया जा सकेगा। सभी विभागीय सूचनायें यदि संकलित रहेगी तो उन्हें जनता द्वारा मांगे जाने पर त्वरित गति से उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। यह मैनुअल उ0प0वि0द0, जो उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक लोक प्राधिकारी इकाई है के कार्यालयों एवं लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों तथा शासन स्तर पर उपलब्ध रहेगी। ये मैनुअल जन साधारण के उपयोग/जानकारी हेतु इंटरनेट पर भी विभागीय वेबसाइट www.ua.nic.in/uttaranchaltourism पर उपलब्ध रहेगी।

3– व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों आदि जिनके लिये यह मैनुअल उपयोगी हैः–

इस मैनुअल में संकलित सूचनायें निम्न व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिये उपयोगी हैः–

(1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिये, जो बेरोजगार है और स्वरोजगार का इच्छुक है, पर्यटन व्यवसाय में प्रशिक्षित है अथवा पर्यटन के लिये शोध हेतु अध्ययनशील है।

(2) ट्रांसपोर्टर्स (हवाई, सड़क एवं रेल परिवहन से सम्बन्धित)।

(3) ट्रैवल एजेन्टस् (हवाई, सड़क एवं रेल परिवहन से सम्बन्धित)।

(4) बैंकर्स/ वित्तीय संस्थायें (पर्यटन स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधाओं के लिये)।

(5) अनेक सूचना माध्यम (पर्यटन एवं पर्यटन स्वरोजगार योजना के प्रचार–प्रसार हेतु)।

(6) होटल व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था (पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं स्वरोजगार हेतु)।

(7) सांस्कृतिक संस्थायें (पर्यटकों में पर्यटन रूचि जागृत करने हेतु)।

(8) निजी गृह स्वामी (पेइंग गेस्ट, आवास सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करने हेतु)।

(9) लेखक/कवि (प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध लेखकों एवं कवियों की लेखनी का पर्यटन एक सुविधाजनक विषय रहा है।

(10) स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में पर्यटन सुविधायें विकसित कर अतिरिक्त आय के स्रोत प्राप्त करने हेतु उपयोगी है)।

(11) शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थायें (शोध के छात्र–छात्राओं के लिये पर्यटन पर्याप्त रूचिकर विषय है)।

(12) टैक्निशियन (इंजीनियर/आर्किटैक्ट/ड्राफ्समैन/चार्टटेड एकाउन्टेट आदि तकनीकी व्यक्तियों के लिये पर्यटन के बडे–बडे प्रोजेक्ट/मानचित्र आदि तैयार कर आजीविका का अच्छा साधन है)।

(13) पर्यटन व्यवसाय में निवेश के इच्छुक निवेश कर्ताओं के लिये।

(14) पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यवसाइयों के लिये।

(15) पर्यटकों हेतु, जो प्रदेश में साहसिक पर्यटन सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों की जानकारी के इच्छुक हों।

अतः उपरोक्त के लिये इस मैनुअल में उपयोगी सूचना संकलित है।

4– मैनुअल का प्रारूप

इस मैनुअल में निम्न प्रकार की सूचनायें संकलित की गई हैः–

(1) पर्यटन रूचि के स्थलों की जानकारी जैसे– पर्यटन स्थल का नाम, उसकी स्थिति, पता, पर्यटन के लिये उसकी उपयोगिता, पर्यटन स्थल पर उपलब्ध पर्यटकोपयोगी सुविधायें, पर्यटक स्थल तक पहुचनें के साधन एवं अन्य मनोरंजन सुविधायें तथा वहां एक पर्यटक के लिये ''क्या करें, क्या न करें'' सम्बन्धी उपयोगी सुझाव आदि।

(2) पर्यटन में अवस्थापना विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें जैसे– मार्गो का निर्माण, पुराने मार्गो का सुधार, पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनायें, जन सुविधाओं का निर्माण एवं संचालन (सुलभ शौचालय आदि), रात्रि विश्राम सुविधाओं का निर्माण, मार्गीय सुविधाओं का निर्माण, पर्यटक सूचना केन्द्रों का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण, सुस्थापित पर्यटक स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार आदि।

(3) पर्यटन प्रोत्साहन येाजनायें जैसे– होटलों/रेस्ताराओं का वर्गीकरण एवं शुल्कों में रियायत, रिवर राफ्टिंग संस्थाओं को राफ्टिंग की अनुमति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पेइगं गेस्ट आवास का पंजीकरण, सेमिनार/ गोष्ठियों/प्रदर्शनियों का आयोजन आदि।

(4) पर्यटन स्वरोजगार योजना जैसे– बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से निजी उद्यमियों को ऋण दिलाना तथा राज सहायता उपलब्ध कराना आदि।

(5) पर्यटन से सम्बन्धित शिक्षण/प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करानाः– इस हेतु राज्य के गढवाल एवं कुमायूँ क्षेत्रों में एक–एक होटल एवं कैटरिंग प्रबन्धन संस्थान की स्थापना की गई है तथा दोनों मण्डलों में ही एक–एक कार्यालय विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन के लिये स्थापित किये गये है जिनके द्वारा इच्छुक नव युवकों/नवयुवतियों को होटल प्रबन्धन एवं साहसिक कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(6) पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य के जनपदों में सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर सूचना पटों की स्थापना की गई है।

(7) पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु पर्यटन साहित्य / मानचित्रों आदि का प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था।

(8) विशेष अवसरों पर परिषद द्वारा पर्यटन के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदर्शनी का आयोजन।

(9) पर्यटन विकास के कार्यों हेतु कराधान व्यवस्था द्वारा आय के स्रोतो का सृजन, जिसमें सुख साधन कर का संग्रहण एवं विप्रेशण सम्बन्धी कार्य।

(10) पर्यटन कार्यो में लगे अन्य विभागों/संगठनों/व्यक्तियों के मध्य उचित समन्वय करना।

(11) राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की मासिक सांख्यिकी का रख–रखाव।

(12) विभागीय विभिन्न दस्तावेजों का रख–रखाव एवं वितरण।

5– परिभाषायें (मैनुअल में प्रयोग की गई शब्दावली से सम्बन्धित)

ऐसे शब्दों/वाक्यों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है जिनका प्रयोग इस मैनुअल में किया गया है, लेकिन उनका तात्पर्य स्पष्ट करने की आवश्यकता हैः–

1– अधिनियम :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

2– सूचना पटलः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा अपने मुख्यालय एवं समस्त जनपद मुख्यालयों में तथा कुछ अन्य पर्यटक स्थलों में स्थापित ऐसे कोष्ठ (काउन्टर) अथवा स्थल जहां पर तैनात कर्मचारी द्वारा आगन्तुकों को सूचना दी जाती है एवं जहां यह मैनुवल भी उपलब्ध रहेगा।

3– मेले/उत्सवः– मेले एवं उत्सवों का तात्पर्य ऐसे आयोजनों से है जिनमें शासकीय विभागों/संगठनों द्वारा अपने क्रियाकलापों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया जाय एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रदेश की संस्कृति को विलुप्त होने से संरक्षण प्रदान करती है तथा इनसे पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है।

4– लाभार्थीः– लाभार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है जो शासकीय सहायता कार्यक्रमों का लाभ उठा रहा है अथवा लाभ उठाने हेतु आवेदक है तथा विभाग से किसी अनुज्ञा, अनापत्ति या व्यवसायिक शुल्क का इच्छुक है।

5– पृच्छाः– पृच्छा का तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति/पर्यटक विविध जानकारी लिखित अथवा मौखिक रूप में प्राप्त करना चाहता है।

6– न्यूज लेटरः– ऐसा पत्र/पत्रिका/विवरण जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् पर्यटकों/व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागों को विशिष्ठ जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित अथवा विशेष अवसर पर प्रकाशित कराती है।

7– शायिका/सीटः– शायिका/सीट का तात्पर्य रेल, बस, वायुयान में यात्रा करने के लिये यात्रापूर्व स्थान (सोने/बैठने) आरक्षित कराया जाना है।

8– पेइंग गेस्टः– पेइंग गेस्ट का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/पर्यटक से है जो पर्यटन के लिये भ्रमण के समय किसी निजी भवन स्वामी के भवन में उपलब्ध आवास/ भोजन/जलपान आदि का उपयोग उसके साथ उसके अतिथि के रूप में करते हुये सब सुविधाओं का निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

9– यात्रा कार्यक्रमः– यात्रा कार्यक्रम से तात्पर्य ऐसे मार्ग दर्शन प्रपत्र से है जो किसी यात्री/ पर्यटक के मार्ग दर्शन के लिये इस प्रकार तैयार किया जाये कि उसमें यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं की पूर्ण जानकारी संक्षिप्त में उपलब्ध हो जाये जैसे– बस, रेल, वायुयान के समय, मार्ग में अल्प विश्राम सुविधाओं, गन्तव्यों पर आवास/ भोजन/जलपान आदि सुविधाओं का विवरण उपलब्ध है ।

10– सम्पर्क व्यक्तिः– सम्पर्क व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी से है जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में जनता को उसके द्वारा मांगी गई सूचना के लिये उपलब्ध कराने हेतु नामित किया गया है ।

6– मैनुअल में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति।

मैनुअल में समायोजित विषयः–

1– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् से सम्बन्धित विषय

परिषद् के अन्तर्गत इस हस्तपुस्तिका में समायोजित विषय निम्नलिखित हैः–

(1) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना।

(2) स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व, जिनमें जिला सेक्टर योजनायें, राज्य सेक्टर योजनायें, केन्द्र वित्त पोषित येाजनायें एवं अन्य व्यवसायिक योजनायें जो समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की जाय जैसे– वर्तमान में संचालनाधीन वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पेइंग गेस्ट योजना आदि।

(3) परिषद के अधिकारियो/कर्मचारियों के वेतन–भत्तो एवं आकस्मिक व्यय के लिये बजट तैयार कर शासन से स्वीकृत कराना।

(4) विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना एवं अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना।

(5) परिषद् के विभिन्न कार्यो/ योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

(6) पर्यटन विकास से सम्बन्धित स्थानीय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियों/ सेमिनारों/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(7) राज्य में साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत विभिन्न साहसिक कार्यक्रमों का स्थानीय युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देना।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यालय स्थापित किये गये है जिनके अधिकारी/कर्मचारी परिषद की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर निम्न प्रकार करते हैः–

(1) जिला योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना एवं उन्हें जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित करवाकर वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजना।

(2) जनपद के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर भ्रमण के लिये आने वाले पर्यटकों का मार्गदर्शन करना, लिखित/मौखिक सूचना उपलब्ध कराना।

(3) पर्यटकों की मासिक पर्यटक सांख्यिकी तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराना।

(4) सांस्कृतिक मेलों का आयोजन करना।

(5) जनपद एवं मुख्यालय स्तर की बैठकों में भाग लेना।

(6) अन्य विषय जो परिषद् मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे जायं।

अधिक सूचनायें प्राप्त करने हेतु सम्पर्क व्यक्तिः–

ऐसी अनेक सूचनायें हो सकती है जो इस मैनुअल में संकलित नहीं की जा सकी अथवा संक्षेप में है, की विस्तृत जानकारी हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

(1) लोक सूचना अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, 3/3 इडस्ट्रीएल एरिया, पटेलनगर, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है जिसके लिये संयुक्त निदेशक पर्यटन नामित है।

(2) राज्य के जनपद अल्मोडा में विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन अल्मोडा, लोक सूचना अधिकारी नामित है।

(3) राज्य के जनपद उत्तरकाशी में विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन उत्तरकाशी लोक सूचना अधिकारी नामित है।

अन्य जनपदों में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी नामित है।

7– मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के लिये सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित विधि एवं शुल्क व्यवस्था की गई हैः–

1– सूचना प्राप्ति की विधिः– सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न उपाय किये गये हैः–

(अ) पर्यटक सूचना– किसी भी व्यक्ति/पर्यटक द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के देहरादून स्थित मुख्यालय एवं विभिन्न जनपदों में स्थित सूचना केन्द्रों पर स्थापित सूचना पटल पर स्वयं जा कर

मौखिक अथवा डाक द्वारा लिखित रूप या दूरभाष द्वारा पर्यटक सूचना निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

(ब) इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लिखित रूप में प्राप्त करने के लिये साधारण आवेदन पत्र पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। शुल्क जमा करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया भी वहीं होगी जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

(स) उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन से सम्बन्धित जानकारी हेतु कुछ पुस्तकें/पर्यटन साहित्य विक्रय हेतु उपलब्ध है, जिनका विक्रय मूल्य पुस्तक/पर्यटन साहित्य पर अंकित होगा और तद्नुसार भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।

1– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास प्राधिकरण के उद्देश्य

उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुये उत्तराखण्ड पर्यटन विकास का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं के अनुसार पर्यटन को बढावा देना है जिसके अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतो से पूंजी निवेश में वृद्धि करना, मानव संसाधन का विकास करना, प्रचार–प्रचार एवं पर्यटन–विपणन, तीर्थाटन विकास एवं धार्मिकता का समादर, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, नैसर्गिक व परिस्थितिकीय पर्यटन का विकास, मनोरंजन के साधनों का विकास, विश्रामपरक पर्यटन का विकास, संस्थागत पर्यटन, साहसिक पर्यटन का विकास एवं इनर लाइन पर पुनर्विचार तथा पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग का विकास करना है ।

2– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का मिशन/विजन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का मिशन/विजन प्रदेश में पर्यटन का चहुमुखी विकास करना है जिसके अन्तर्गत प्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाना है ताकि पर्यटक आवागमन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। परिषद् का उद्देश्य पर्यटन विकास हेतु नीति निर्धारण एवं रणनीति बनाया जाना, पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, विभिन्न पर्यटन विधाओं से सम्बन्धित योजनाओं की रूप रेखा का निर्धारण, परियोजनाओं का चिन्हिकरण एवं विकास तथा इनका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, विभिन्न पर्यटन विधाओं से सम्बन्धित मानकों एवं मार्ग निर्देशों का गठन तथा पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश में वृद्धि हेतु प्रयास करना है ।

3– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

वर्ष 1989 में देहरादून में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य तत्कालीन प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूर स्थित इस क्षेत्र का त्वरित गति से विकास हो सके। यह कदम पर्यटन के विकास की

दृष्टि से इसलिये भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन की असीम सम्भावनाओं से युक्त है। तत्पश्चात् वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन किया गया और उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार पर्यटन के समेकित विकास के लिये उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के गठन की आवश्यकता महसूस हुई जिसका गठन इससे सम्बन्धित अधिसूचना– 2002 के द्वारा किया गया। यह परिषद् राज्य में पर्यटन के विकास सम्बन्धी समस्त कार्य कर रही है। यह एक स्वायतशासी संगठन है जिसके कार्य कलाप पर्यटन विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी कर रहे है और वे ही परिषद् के प्रति उत्तरदायी है। माननीय पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड इस परिषद् के पदेन अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन पदेन उपाध्यक्ष बनाये गये है। पर्यटन विभाग के सचिव को परिषद् का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। साथ ही एक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त करने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में अपर सचिव पर्यटन ही परिषद् के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। परिषद् में सचिव वित्त, वन, उर्जा, लोक निर्माण, परिवहन एवं नियोजन अन्य पदेन सदस्य है। राज्य सरकार द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है जो पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग में विशेष योग्यता रखते हो।

4– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के कर्तव्य

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के शासन द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(1) उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास हेतु नीतिया/रणनीतियां तैयार करना।

(2) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ करने जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मलित है, हेतु दिशा–निर्देश एवं योजना तैयार करना।

(3) पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हिकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनको समयबद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।

(4) पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम, मानक व नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

(5) पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढावा देने हेतु योजना तैयार करना।

(6) परिषद् उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करेगी एवं उत्तराखण्ड को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी।

(7) पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

(8) उत्तराखण्ड में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तराखण्ड एवं बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किया जायेगा।

(9) परिषद् पृथक–पृथक समितियों का गठन करेगी जिसमें विषय विशेषज्ञ होगे जो कि उपलब्ध संसाधनों का आकंलन, विकास योजनाओं को तैयार करेंगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेगी।

(10) परिषद पर्यटन परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन एवं परीक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं कन्सल्टेंट्, परामर्शदताओं, एजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

(11) उत्तराखण्ड के समस्त धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद् मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

(12) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

5– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के मुख्य कृत्य

(1) पर्यटकों का मार्गदर्शन– देश विदेश से उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न स्रोतो से पर्यटक रूचि के स्थलों, स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, उन सभी स्थलों तक पहुचने के लिये आवागमन के साधनों अर्थात बस, रेल, वायुयानों आदि की समय सारणी, विभिन्न ट्रैवल एजेन्सियों द्वारा चलाये जाने वाले पैकेज टूअर आदि की जानकारी एवं उनके शुल्क की विस्तृत जानकारी का संकलन करके पर्यटन साहित्य एवं गाइड मैप का प्रकाशन किया जाता हैं और पर्यटकों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जाता है साथ ही स्वागत कक्षों में मांगी गई जानकारी दी जाती है इसके लिये कर्मचारियों को पहले प्रशिक्षित किया जाता है, पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराकर जानकारी कराई जाती है। पर्यटकों से प्राप्त डाक पत्रों के उत्तर आदि दिया जाना। साथ ही विशिष्ठ व्यक्तियों/पर्यटकों के साथ सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजकर मार्गदर्शन कराया जाता है और उनकी परिवहन, आवास, भोजन आदि की समस्त व्यवस्थायें नियमानुसार कराई जाती है।

(2) पर्यटक स्थलों का विकास– उत्तराखण्ड में उपलब्ध ज्ञात, अंज्ञात एवं अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उन्हें पर्यटकों के लिये रूचिकर बनाने हेतु योजनायें बनाई जाती है तथा शासन से स्वीकृत कराकर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। इससे अधिकाधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है, साथ ही उनके लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है तथा दूसरी ओर राज्य की जनता के लिये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते है। इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– जिला सेक्टर योजनायें

राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जिला कार्यालयों द्वारा विकास योजनाओं के प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किये जाते है तथा जिला स्तर पर गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से उन्हें अनुमोदित करवाकर उनके आगणन विभिन्न निर्माण एजेन्सियों से गठित करवाकर प्रस्तावों के साथ मुख्यालय

को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते है। मुख्यालय द्वारा उन योजना प्रस्तावों हेतु शासन से धन की व्यवस्था कराई जाती है। परिषद में चूंकि तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, इस लिये योजनाओं के निर्माण कार्य भी सम्बधित निर्माण एजेन्सियों/विभागों से करायें जाते है। इनमें मुख्यतः ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, राजकीय निर्माण निगम, सिंचाई विभाग, वन विभाग, गढवाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि सम्मिलित है।

2– राज्य सेक्टर योजनायें

राज्य सेक्टर की बडी–बडी निर्माण योजनाओं के लिये जिलों से प्रस्ताव प्राप्त कर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा चयन कर योजनाओं का गठन किया जाता है और उनके आगणन सम्बन्धित निर्माण इकाईयों से तैयार करवाकर शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व जिला स्तर तक के अधिकारियों का होता है जो समस्त निर्माण कार्य अपनी देख–रेख में कराकर नियमित रूप से मुख्यालय को प्रगति रिपोर्ट भेजते है।

3– केन्द्र वित्त पोषित योजनायें

राज्य में कुछ विशिष्ठ प्रकार की विकास योजनाओं के निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसके लिये प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् तैयार करती है तथा योजना हेतु वांछित भूमि आदि की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर से की जाती है। योजना को केन्द्र सरकार की स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का है।

4– अन्य योजनायें

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा पर्यटन के विकास की अन्य योजनायें भी चलाई जा रही है जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन एवं छूट आदि देकर उनकी भागीदारी से चलाई जा रही है, जो निम्नलिखित हैः–

(1) वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

यह योजना उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना के बाद वर्ष 2002 में आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत निजी उद्यमियों को बैंको से ऋण दिलाकर तथा राज्य सरकार से राज सहायता उपलब्ध कराकर विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेराजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा पर्यटन सुविधाओं का निजी क्षेत्र में विकास करना है, ताकि दिन–प्रतिदिन पर्यटक आवागमन में हो रही वृद्धि से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जा सके। इससे राज्य के आय के स्रोतों में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। यह योजना जून, 2002 से पेशावर कांड के नायक तथा इस राज्य के निवासी वीर चन्द्र सिंह गढवाली को समर्पित करते हुये आरम्भ की गई है। अगस्त, 2005 तक इस

योजना से राज्य के 552 उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा चुके है। यह प्रोत्साहन निम्नलिखित कार्यो के लिये दिया जाता हैः–

(2) सांस्कृतिक कार्यक्रम योजना

शासन के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में ऐसे स्थलों पर सांस्कृतिक मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार किया जाता है जहां पर्यटक आवागमन हो अथवा वह स्थल पर्यटन योग्य हो। शासन द्वारा मेले के आयोजन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इन मेलों में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक मेला राज्य स्तर का और शेष मेले क्षेत्रीय/जनपदीय स्तर के होते है।

आयोजन प्रक्रिया

प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड में होने वाले मेलों को उनके आयोजन हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा विभिन्न मेलों हेतु सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारियों/जिलाधिकारियों को अनुदान को उपलब्ध कराया जाता है।

मेला समितियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का भी समय–समय पर सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मेले में प्रदर्शनी आदि लगाने के भरसक प्रयास होते है तथा शासकीय विभाग/संगठन अपने क्रिया–कलापों का प्रदर्शन मेलों में करते है, ताकि जनता को उनकी जानकारी प्राप्त हो सके।

मेला आयोजन की समाप्ति के बाद शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा परिषद् मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाता है। जिन मेलों के लिये लगभग प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है एवं राज्य गठन के उपरान्त अनुदान प्राप्त मेलों का वितरण उन्हें दिये गये सामान्य/विशेष अनुदान सहित विवरण निम्नानुसार है :–

मेले एवं त्यौहार
वित्तीय वर्ष 2004–2005 में व्यय की गई

अनुदान की धनराशि का विवरण

	मेले एवं त्यौहार का नाम	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	**3**
जनपद–चम्पावत	चम्पावत	
1	देवीधूरा मेला, चम्पावत	300000
2	पूर्णागिरी मेला, चम्पावत	2500000
3	शरदोत्सव लोहाघाट, चम्पावत	100000
4	स्व0 हर्षदेव औली महोत्सव, खेतीखान	25000
5	चमुदेवता मेला, चमदेवल	10000

6	रीठासाहिब मेला	40000
7	ग्रीष्मोत्सव, लोहाधाट	50000
8	देवीधार मेला, लोहाघाट	10000
9	अखिलतारणी मेला, बीगालीचौड	10000
10	हरेला मेला, चम्पावत	10000
11	झूमाधूरी मेला, लोहाघाट	10000
12	पाताल रूद्रेश्वर गुफा महाशिवरात्रि मेला	50000
	योग	**3115000**
जनपद–पिथौरागढ़		
1	कुटी कैलाश मेला, पिथौरागढ़	10000
2	दारिमादांतू मेला, पिथौरागढ़	10000
3	डुंडाधार मेला, पिथौरागढ़	10000
4	मनमहेश मेला, माजिरकांडा पिथौरागढ़	15000
5	शरदोंत्सव पिथोरागढ़	600000
6	शरदोत्सव डीडीहाट, पिथौरागढ़	40000
7	जौलजीबी मेला, पिथौरागढ़	30000
8	दुम्मर मेला, पिथौरागढ़	20000
9	शिवरात्रि मेला धारचूला, पिथोरागढ़	100000
10	छलिया महोत्सव	220000
11	बसंतोत्सव, गंगोहाट	50000
12	उत्तरांचल जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव धारचूला	10000
	योग	**1115000**
जनपद–अल्मोड़ा		
1	नन्दादेवी मेला, अल्मोड़ा	50000
2	जागेश्वर मेला, अल्मोड़ा	100000
3	ग्राष्मोत्सव रानीखेत, अल्मोड़ा	50000
4	स्यालदेह मेला द्वाराहाट, अल्मोड़ा	25000
5	नन्दादेवी मेला, रानीखेत अल्मोड़ा	15000
6	शरदोत्सव, अल्मोड़ा	200000
7	फूड फेस्टेबल, अल्मोडा	30000
8	सोमनाथ मेला, मासी	25000
	योग	**495000**
जनपद–बागेश्वर		
1	बागेश्वर मेला, बागेश्वर	**1500000**

जनपद–नैनीताल		
1	नन्दादेवी मेला, नैनीताल	100000
2	हरियाली देवी मेला, भीमताल, नैनीताल	25000
3	गर्जियामेला रामनगर, नैनीताल	25000
4	कैचीमेला रातीघाट, नैनीताल	10000
5	छोटा कैलाश मेला, भीमताल, नैनीताल	10000
6	रानीबाग मेला, नैनीताल	10000
7	होली महोत्सव, नैनीताल	40000
8	नैनीताल महोत्सव	1500000
9	बसन्तोत्सव, रामनगर	50000
10	उत्तरायणी मेला, हीरानगर, हल्द्वानी	50000
11	शरदोत्सव, हल्द्वानी	25000
12	नैनीताल महोत्सव 2003	500000
	योग	**2345000**

जनपद–उधमसिंहनगर

1	चैतीमेला कांशीपुर, उधमसिंहनगर	50000
2	अटरिया मेला, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर	25000
3	दीपावली मेला, नानकमत्ता	100000
4	थारू महोत्सव, खटीमा	30000
5	शहीद उधमसिंह महोत्सव, रूद्रपुर	100000
	योग	**305000**

जनपद–पौड़ी

1	दुर्गादेवी मेला बुडोली, पौड़ी	10000
2	भरतनगर मेला, कोटद्वार पौड़ी	10000
3	सिद्धबली मेला, कोटद्वार पौड़ी	10000
4	भुवनेश्वरी मेला, पौड़ी	10000
5	शरदोत्सव, पौड़ी	100000
6	बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला, श्रीनगर, पौड़ी	200000
7	कण्वाश्रम मेला, कोटद्वार पौड़ी	30000
8	ताड़केश्वर महादेव मेला, दुगड्डा, पौड़ी	20000
9	डांडामंडी मेला, पौड़ी	15000
10	थल नदी मेला, पौड़ी	50000
11	बिन्सर मेला, पौडी	10000
12	ऊल्खागढ़ मेला, पौड़ी	10000
13	खिर्सू घंडियाल मेला, पौड़ी	10000
14	मुण्डेनेश्वर मेला कल्जीखाल, पौड़ी	10000

15	कुटेश्वर(धारकोट) मेला, यमकेश्वर, पौड़ी	10000
16	एकेश्वर महादेव मेला, पौड़ी	10000
17	शरदोत्सव कोटद्वार, पौड़ी	25000
18	शहीद चन्द्रशेखर आजाद स्मृति मेला, दुगड्डा, पौड़ी	50000
19	ताराकुण्ड महोत्सव, पौडी	25000
20	गुजडूगढी मेला, पौडी	15000
21	ग्रीष्मोत्सव, पौडी	300000
22	निरांकार देवता मेला, नैनीडांडा, पौडी	25000
23	शरदोत्सव खिर्सू	100000
24	वीर चन्द्र सिंह गढवाली मेला, पौडी	50000
25	रिखणीखाल मेला, पौडी	100000
26	गांधी जयंती मेला, कुम्भी चौड, कोटद्वार	10000
27	नाग देवता मेला पौड़ी	10000
28	डांडा नागराजा मेला, कोट	15000
29	क्रन्तिकारी स्व0 भवानी सिंह रावत शहीद दिवस, नाथुपुर	10000
30	महाशिवरात्रि मेला, रिखणीखाल	30000
	योग	**1280000**

जनपद –रूद्रप्रयाग

1	महाकवि कालीदास मेला, कविल्ठा, रूद्रप्रयाग	20000
2	बैशाखी मेला अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	100000
3	पटांगणिया मेला, रूद्रप्रयाग	10000
4	बधानीताल पर्यटन विकास मेला, रूद्रप्रयाग	10000
5	हरियाली देवी मेला, रूद्रप्रयाग	25000
6	देवरियाताल, महोत्सव	30000
7	कोटश्वर महादेव मेला	10000
8	त्रिजुगीनारायण मेला,	50000
9	शरदोत्सव, रूद्रप्रयाग	50000
10	पाडव नृत्य मेला	10000
11	रूद्रनाथ महोत्सव	25000
12	श्री मदमहेश्वर मेला	50000
13	महासिद्ध पीठ कालीशिला वार्षिकोत्सव, उखीमठ	50000
	योग	**440000**

जनपद–चमोली

1	नंदादेवी मेला लाता, जोशीमठ चमोली	10000
2	आदि बद्री मेला, चमोली	10000
3	भेकलताल मेला, चमोली	10000

4	श्री नंदादेवी मेला रामणी, चमोली नौटी,	10000
5	श्री नंदादेवी मेला, नौटी चमोली	10000
6	झलताल–सूखाताल पर्यटन विकास मेला, चमोली	10000
7	शरदोत्सव जोशीमठ चमोली	50000
8	गौचर मेला, चमोली	100000
9	शरदोत्सव गोपेश्वर, चमोली	300000
10	अनुसूया देवी मेला, चमोली	10000
11	रूपकुण्ड महोत्सव, चमोली	40000
12	श्री विध्यवासिनी मेला,देवताल नारायणकोटी, चमोली	10000
13	शिवरात्रि मेला, धाट चमाली	10000
14	शरदोत्सव कर्णप्रयाग चमोली	10000
15	बण्ड विकास मेला पीपलकोटी	25000
16	काश्तकार मेला ग्वालदम	10000
17	नंदासैण मेला, चमोली	15000
18	धार्मिक एवं पौराणिक मेला मिरग, जोशीमठ	10000
19	औली महोत्सव	100000
20	शिवरात्रि मेला, बामनाथ चमाली	10000
21	बसंत बुराश मेला, लोहजंग	10000
22	महामुत्युजय श्रावणी मेला असेड सिमली	10000
23	श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला, नारायणबगड	10000
24	शिवरात्रि मेला बैराज कुण्ड	10000
25	शिवरात्रि मेला, देवाल	10000
26	नंदादेवी दशहरा मेला, बधाण्गढी	10000
27	देवागणा सप्तकुण्ड मेला, इराणी झींझी	10000
28	पर्यटन एवं संस्कृति मेला, घेस	10000
29	काश्तकार पर्यटन मेला पोखरी	50000
30	वार्षिक कुलसारी मेला, नारायणबगड चमोली	10000
31	नंदादेवी मेला, कुरूड चमोली	25000
32	वीर सैनिक ग्राम गौरव समारोह, थराली	5000
33	भोटिया सांस्कृतिक मेला, मायापुर	10000
34	मातामूर्ति मेला, बद्रीनाथ धाम	10000
35	नागनाथ मेला	10000
36	लोकपाल (हेमकुण्ड) मेला	10000
	योग	**970000**

जनपद–देहरादून

1	शरदोत्सव मसूरी, देहरादून	500000
2	विनोग हिल मेला मसूरी, देहरादून	10000
3	कुलदेवता मेला धनपौ,मसूरी, देहरादून	10000
4	भदराज मेला,मसूरी, देहरादून	10000
5	जनजागरण उत्सव इप्टा,मसूरी, देहरादून	10000
6	सन्तला देवी मेला, देहरादून	10000
7	बिस्सू का मेला,चकराता देहरादून	10000
8	चन्द्रबनी मेला गौतमकुण्ड , देहरादून	100000
9	लाखामण्डल बीर का मेला, देहरादून	10000
10	लक्ष्मणसिद्ध शिवरात्रि मेला, देहरादून	20000
11	महासू मेला, हनोल, देहरादून	50000
12	लखवाड़ मेला, देहरादून	10000
13	टपकेश्वर मेला, देहरादून	10000
14	शिवरात्रि मेला केदारपुरम देहरादून	10000
15	फूडफैस्टीवल, देहरादून	80000
16	विटंर कर्नेवल, मसूरी	50000
17	विरासत महोत्सव	1500000
18	योगा महोत्सव ऋषिकेश	100000
19	सांस्कृतिक महोत्सव बिगुल संस्था, मसूरी	15000
20	उत्तराखण्ड महोत्सव	500000
21	विस्सू मेला, मक्काबाग	10000
	योग	**3025000**

जनपद–उत्तरकाशी

1	रैथल दयारा उत्सव/पर्यटन विकास मेला,उत्तरकाशी	20000
2	रवाई शरदोत्सव विकास मेला, बड़कोट, उत्तरकाशी	10000
3	रवाई शरदोत्सव विकास मेला, पुरोला, उत्तरकाशी	10000
4	माघ मेला, उत्तरकाशी	500000
5	सेलकू मेला, ग्राम गोरसाली भटवाड़ी, उत्तरकाशी	10000
6	नागराजा मेला, रौतल, गमरी, उत्तरकाशी	20000
7	दिनेश स्मृति मेला	10000
8	हुण्डेश्वर मेला, चिनियालीसौड	10000
9	श्रद्धाग्रामोद्योग एवं विकास मेला	10000
10	सुमन स्मृति मेला	10000
11	धिनाडी पर्यटन विकास मेला	10000
12	रूद्रेश्वर मेला, दवराना	10000

13	गंगनानी मेला, बडकोट	10000
14	पोखू देवता मेला, नैटवाड	10000
15	सोमेश्वर देवता मेला, औसला	10000
16	गंगा महोत्सव, गंगोत्री	15000
	योग	**675000**

जनपद–टिहरी–गढ़वाल

1	स्व0 गब्बरसिंह शहीदमेला, चम्बा टिहरी	10000
2	बैसाखी मेला, देवप्रयाग टिहरी	10000
3	भदराज मेला त्याड़ा जौनपुर टिहरी	10000
4	भवानी देवी मेला शकलाना टिहरी	10000
5	चन्द्रबदनी सिद्धपीठ मेला, टिहरी	20000
6	खैटपर्वत मेला, टिहरी	10000
7	शरदोत्सव, नई टिहरी	100000
8	चाका कोटेश्वर पर्यटन विकास मेला टिहरी	25000
9	नैनबाग मेला, जौनपुर, टिहरी	10000
10	बसंत पंचमी मेला, देवप्रयाग टिहरी	10000
11	खतलिंग मेला धत्तू टिहरी	20000
12	सुरकण्डा देवी मेला, टिहरी	10000
13	कुंजापुरी मेला, टिहरी	150000
14	डुण्डेश्वर महादेव मेला, कीर्तिनगर टिहरी	10000
15	मासरताल मेला, भिलंगना टिहरी	10000
16	जौनपुर मेला थत्युड़ टिहरी	10000
17	शहीद मोलू भरदारी– नागेन्द्र सकलानी स्मृति मेला कीतिनगर	50000
18	किसान मेला बुढाकेदार	10000
19	वीर शिरोमणी माधो सिंह भण्डारी स्मृति मेला	80000
20	ज्वालामुखी देवी मेला विनकखाल	10000
21	राज राजेश्वर मेला, भिलगंना	10000
22	कावड यात्रा देवप्रयाग	100000
23	शहीद मेला मणी किलकिलेश्वर चौरास	20000
24	श्री घंटाकरण की जात	100000
25	विश्वनाथ जगदीश शिला मेला, टिहरी	25000
26	बसंत पंचमी मेला,नागेश्वर सौड	10000
	योग	**840000**

जनपद हरिद्वार

1	पिरान कलियर उर्स, हरिद्वार	325000
2	श्रावण कावड मेला	100000

3	हरिद्वार महोत्सव	100000
4	आयुर्वेद महोत्सव	100000
5	ट्रेड फेयर रूडकी	20000
6	जटाशंकर महादेव शिवरात्रि मेला	10000
	कुल योग	**655000**
	महा योग–198	**16760000**

(3) पर्यटक सांख्यिकी

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के विभिन्न क्रिया कलापों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों का लेखा–जोखा रखा जाता है। पर्यटक सांख्यिकी से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि हमारे प्रदेश में पर्यटकों का प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष आवागमन कितना है, वे देश–विदेश के किस भाग से अधिक संख्या में और किस भाग से कम संख्या में आना पसंद करते है, हमारे प्रदेश के किस पर्यटन स्थल/नगर/क्षेत्र के भ्रमण में रूचि रखते है, कहां–कहां कितना समय देते है, उनकी अभिरूचि किस प्रकार के पर्यटन में है ''वे आमोद–प्रमोद में अधिक रूचि रखते या प्राकृतिक सौन्दर्य को निहारने, वन्य जीवन का अवलोकन करने, ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक झलक पाने अथवा साहसिक कार्यो की गतिविधियों का लुत्फ उठाना चाहते है।

इस प्रकार न केवल पर्यटकों की संख्या की जानकारी उपलब्ध होती है बल्कि यह भी कि किस देश या प्रदेश अथवा क्षेत्र या नगर से हमारे प्रदेश में पर्यटन की अभिरूचि है, उनको क्या पंसद आया और क्या नहीं, हमारी व्यवस्थाओं से वे किस प्रकार प्रभावित हुये, किससे असहमत रहे अथवा किसमें क्या कमी नजर आई, किस–किस प्रकार की जानकारी हमारे बारे में, हमारे नगर या गांव के बारे में, किस क्षेत्र की किस वस्तु के बारे में आगन्तुक जानकारी लेना चाहते है। इससे हमें अपनी पर्यटन विकास सम्बन्धी योजनायें तैयार करने और क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। यहां आने वाले और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के पर्यटक की क्या अभिरूचि है।

पर्यटक सांख्यिकी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रमुख पर्यटक स्थलों की वार्षिक पर्यटक सांख्यिकी

क्र0	पर्यटक स्थल का नाम	वर्ष, 2003			वर्ष, 2004			वर्ष, 2005		
सं0		भारतीय	विदेशी	योग	भारतीय	विदेशी	योग	भारतीय	विदेशी	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	देहरादून	917070	11922	**928992**	1012535	11972	**1024507**	1013959	12012	**1025971**
2	ऋषिकेश	220097	6047	**226144**	323734	5918	**329652**	369573	5538	**375111**

3	मसूरी	1024752	2986	**1027738**	1024985	2683	**1027668**	1044245	3547	**1047792**
4	पौडी	73809	53	**73862**	74160	39	**74199**	80303	38	**80341**
5	श्रीनगर	207779	309	**208088**	174157	424	**174581**	188051	423	**188474**
6	कोटद्वार (चीला / स्वर्गाश्रम सहित)	228737	7338	**236075**	273863	9372	**283235**	251863	14677	**266240**
7	रूद्रप्रयाग जनपद (केदारनाथ छोड़कर)	415645	835	**416480**	493824	1092	**494916**	439719	1289	**441008**
8	केदारनाथ	231988	2509	**234497**	275149	1257	**276406**	378162	4811	**382973**
9	गोपेश्वर	141777	438	**142215**	150997	300	**151297**	198785	313	**199098**
10	जोशीमठ(घाघंरियां व गोविन्दघाट सहित)	672970	684	**673654**	452874	922	**453796**	934242	1410	**935652**
11	बद्रीनाथ	580913	30	**580943**	500579	_	**500579**	566224	_	**566224**
12	औली	8973	262	**9235**	7145	162	**7307**	10525	456	**10981**
13	हेमकुण्ड साहिब	391575	_	**391575**	278918	_	**278918**	548389	25	**548414**
14	फूलों की घाटी	4154	303	**4457**	4514	437	**4951**	4664	547	**5211**
15	टिहरी जनपद	576274	7172	**583446**	591033	8699	**599732**	676223	9843	**686066**
16	उत्तरकाशी (गंगोत्री, यमुनोत्री छोड़कर)	478612	827	**479439**	541298	1075	**542373**	489990	1060	**491050**
17	गंगोत्री	139752	182	**139934**	160540	299	**160839**	222834	227	**223061**
18	यमुनोत्री	77998	52	**78050**	102194	137	**102331**	168899	147	**169046**
19	हरिद्वार	5524432	7532	**5531964**	6283726	11012	**6294738**	7527020	13624	**7540644**
20	अल्मोडा	80354	2931	**83285**	80489	4106	**84595**	79435	4921	**84356**
21	रानीखेत	68716	710	**69426**	69827	631	**70458**	75165	867	**76032**
22	कौसानी (बागेश्वर सहित)	70095	336	**70431**	75017	364	**75381**	66335	419	**66754**
23	पिथौरागढ जनपद	137618	704	**138322**	153635	971	**154606**	160311	989	**161300**
24	चम्पावत जनपद	38174	167	**38341**	40312	165	**40477**	44623	128	44751
25	नैनीताल	420016	4537	**424553**	478133	6277	**484410**	510959	6789	**517748**

26	काठगोदाम	43813	246	**44059**	44754	259	**45013**	46914	240	47154
27	कॉर्बेट नेशनल पार्क	86886	4170	**91056**	93707	5968	**99675**	114623	8199	**122822**
28	उधमसिंह नगर जनपद	66614	217	**66831**	67946	220	**68166**	69030	205	**69235**
	योग	**12929593**	**63499**	**12993092**	**13830045**	**74761**	**13904806**	**16280765**	**92744**	**16373509**

नोट– 1– 2004 की अपेक्षा 2005 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 18 प्रतिशत की वृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2– वर्ष 2003 की अपेक्षा 2004 में घरेलू पर्यटकों में 7 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(4) उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन के विकास की बहुत सम्भावनायें विद्यमान है। जिनमें पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पैरागलाइडिंग, पैरासैलिंग आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में समयबद्ध और क्रमबद्ध विकास के लिये प्रदेश के दोनों मण्डलों में एक–एक साहसिक पर्यटन के कार्यालय क्रमशः गढवाल मण्डल में उत्तरकाशी एवं कुमायूँ मण्डल में अल्मोडा में स्थापित किये गये है जहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में साहसिक कार्यो के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित कर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। इन दोनों कार्यालयों में एक–एक विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन तथा उनके अधीन अन्य कर्मचारी तैनात है। अब यह व्यवस्था प्रदेश के 11 अन्य जनपद मुख्यालयों पर भी आरम्भ की जा रही है जिसके लिये शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं नियुक्तियां की जा रही है। साहसिक पर्यटन के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यक्रमों में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीईग, रिवर राफटिंग, एरो स्पोर्ट्स सम्मिलित है। अब इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मण्डल स्तर पर तैनात विशेष कार्याध्किारी के अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला साहसिक खेल अधिकारियों को भी संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(5) प्रचार प्रसार कार्य

पर्यटन विभाग के क्रिया कलापों का व्यापक प्रचार–प्रसार कर देश–विदेश के पर्यटकों तक पहुॅचाने के लिये किया जा रहा है ताकि उनको उचित मार्गदर्शन/जानकारियां प्राप्त हो सके। इसी प्रकार विभाग की समस्त गतिविधियों/कार्यकलापों की जानकारी आम जनता को हो सके। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कराये जा रहे प्रचार–प्रसार एवं विपणन सम्बन्धी कार्यो का विवरण निम्नवत है :–

1– राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार

2– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार

3– प्रिन्ट मीडिया में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन

4– प्रिन्ट मीडिया प्रादेशिक एवं अन्य समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापन

5– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्लू0टी0एम0 इश्यू

6– राष्ट्रीय स्तर के फेम टुअर

7– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टुअर

8– राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेस/मीट/सेमिनार/पी0आर0 एजेन्सी

9– पर्यटन साहित्य का प्रकाशन।

10– होर्डिंग/सूचना पट/साइनेज उपकरणों का क्रय।

11– फिल्म व सी0डी0 निर्माण

12– पोस्टर आदि का प्रकाशन

13– अन्य (पारदर्शी, लेमिनेशन, फेमलाइजेशन टुअर आदि)

(6) पर्यटन विकास के लिये निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन

पर्यटन एक व्यापक विषय है और इसके विकास की सीमायें अनन्त है तथा विकास की सम्भावनायें भी असीम है। इसके लिये शासन स्तर पर उपलब्ध संसाधन बहुत सीमित है। अतः ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि पर्यटन के समग्र विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाय। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद पर्यटन व्यवसाय में रूचि रखने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित कर विभिन्न योजनाओं में पूंजी लगाने के लिये उनका मार्गदर्शन एवं सहायता करता है। इसमें होटल व्यवसाय, के इच्छुक व्यक्ति, मनोरंजन के साधनों के विकास करने के इच्छुक, यातायात व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यो के इच्छुक एवं मूल भूत सुविधाओं के विकास करने के इच्छुक उद्यमियों को निजी पूंजी निवेश के लिये प्रेरित करना एवं प्रोत्साहन देना प्रमुख है। जैसेः–

1– पांच वर्ष तक नई पर्यटन इकाइयों को संचालन की तिथि से सुख साधन कर में छूट।

2– पांच वर्ष तक राज्य में स्थापित रोपवे को संचालन की तिथि से मनोरंजन कर में छूट।

3– पांच वर्ष तक संचालन की तिथि से मनोरंजन पार्को को मनोरंजन कर में छूट।

4– राज्य या केन्द्र की नयी औद्धोगिक नीति के अर्न्तगत राज्य में स्थापित नयी मल्टीप्लैक्स परियाजनाओं को मनोरंजन कर में तीन वर्ष के लिये 100 प्रतिशत की छूट।

5– भारत सरकार द्वारा इन्डस्ट्रीयल कन्सेशनल पैकेज हेतु 10 वर्ष के लिये आबकारी कर में 100 प्रतिशत छूट।

6– भारत सरकार द्वारा आयकर में इन्डस्ट्रीयल कन्सेशनल पैकेज हेतु 5 वर्ष 100 प्रतिशत छूट तथा उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिये टेपरिंग छूट।

7– भारत सरकार द्वारा आयकर में इन्डस्ट्रीयल कन्सेशनल पैकेज हेतु 15 प्रतिशत पूंजी उपादान जो अधिकतम रु0 30 लाख है।

8– भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा नये अनुमोदित होटल प्रोजेक्ट को 1, 2, 3 स्टार एंव हैरिटेज श्रेणी में कुल सैधान्तिक ऋण पर 10 प्रतिशत कैपिटल ग्राण्ट या रु0 25.00 लाख 1 स्टार के लिये, रु0 50.00 लाख 2 स्टार के लिये तथा रु0 75.00 लाख 3 स्टार व हैरिटेज श्रेणी की परियोजनाओं के लिये।

9– होटल, मोटल, रिसोर्ट, हैल्थ स्पा,योग व मैडिटेशन सैन्टर, पर्यटक ग्राम तथा मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, नेचुरल पार्क/बोटैनिकल पार्क हेतु भूउपयोग परिर्वतन की सुविधा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में हुये निजी पूंजी निवेश का वर्ष 2003–04 में सर्वे कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड में पर्यटन क्षेत्र में हुये निजी पूंजी निवेश एवं सृजित रोजगार का विवरण

क्रसं0	जनपद का नाम	सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष जमा परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (रू0 लाख में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0 लाख में)
1	अल्मोडा	242	549.00	29.20
2	बागेश्वर	30	157.21	11.00
3	चम्पावत	34	52.78	0.00
4	टिहरी गढवाल	439	1901.16	367.04
5	पिथौरागढ	126	324.70	43.20
6	नैनीताल	679	449.50	75.00
7	उधमसिह नगर	153	328.00	274.00
8	उत्तरकाशी	274	805.65	0.00
9	देहरादून	988	7160.62	3710.00
10	हरिद्वार	1243	3037.00	13702.00
11	चमोली	239	506.73	551.50
12	पौडी	179	561.54	457.73
13	रूद्रप्रयाग	52	120.00	210.00
	योग –	**4695**	**18953.89**	**19493.67**

होटल, मोटल, रिसोर्ट, टैटेज/ कैम्पिगं, पेइंग गेस्ट आवास, साधना कुटीर/ध्यान केन्द्र

क्रसं0	जनपद का नाम	शैयायें/कक्षों की संख्या		सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष जमा परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (रू0 लाख में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0 लाख में)
		शैयायें	कक्ष			
क्रसं0	जनपद का नाम					
1	2	3	4	5	6	7
1	अल्मोडा	199	103	44	240.00	75.00
2	बागेश्वर	_	_	16	128.00	11.00
3	चम्पावत	86	42	29	48.86	0.00
4	टिहरी गढवाल	1140	0	202	1433.65	185.60
5	पिथौरागढ	279	-	31	142.70	16.00
6	नैनीताल	-	-	352	2621.50	75.00
7	उधमसिह नगर	-	199	52	94.00	124.00
8	उत्तरकाशी	1238	535	188	666.85	0.00
9	देहरादून	1769	835	517	2302.12	210.00
10	हरिद्वार	-	-	299	1204.00	11972.00
11	चमोली	3039	422	180	422.44	543.93
12	पौडी	694	281	89	333.04	411.00
13	रूद्रप्रयाग	87	30	46	110.00	210.00
	योग –	8531	2447	2045	9745.16	13833.53

रेस्टोरेन्ट, बार एवं फास्टफूड सेन्टर

क्र0सं0	जनपद का नाम	सृजित/सृजित होने वाली सुविधाओं की संख्या		धारित	सृजित /सृजित होन वाले रोजगार (प्रत्यक्ष + परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (लाख रू0 में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश (लाख रू0 में)
		सृजित	सृजित होने वाली				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोडा	2	3	100	16	21.50	2.20
2	बागेश्वर	0	0	40	8	17.00	0.00
3	चम्पावत	0	0	0	0	0.00	0.00
4	टिहरी गढवाल	25	9	768	112	245.75	96.44
5	पिथौरागढ	6	0	83	15	13.00	22.00
6	नैनीताल	10	0	210	58	125.00	0.00
7	उधमसिह नगर	8	3	180	20	41.00	0.00
8	उत्तरकाशी	7	0	126	29	27.60	0.00
9	देहरादून	10	0	237	131	1460.00	0.00
10	हरिद्वार	0	0	0	40	61.00	80.00
11	चमोली	3	0	75	18	13.19	0.00
12	पौडी	2	0	60	7	6.00	12.00
13	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0.00	0.00
	योग	73	15	2079	454	2031.04	212.84

पर्यटक वाहन (बसें एवं टैक्सीयां)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वाहन का प्रकार		सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष + परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (लाख रू0 में)
		बस	टैक्सी		
1	2	3	4	5	6
1	अल्मोडा	2	52	90	245.50
2	बागेश्वर	0	2	4	9.0
3	चम्पावत	0	1	2	4.17
4	टिहरी गढवाल	2	10	28	65.00
5	पिथौरागढ	1	33	55	130.00
6	नैनीताल	0	0	0	0.00
7	उधमसिह नगर	0	31	31	93.00

8	उत्तरकाशी	0	19	38	87.00
9	देहरादून	0	0	0	0.00
10	हरिद्वार	70	270	750	1500.00
11	चमोली	2	11	30	59.96
12	पौडी	11	11	62	162.77
13	रूद्रप्रयाग	0	2	6	10.00
	योग	88	442	1096	2366.60

साहसिक खेल उपकरण (राफ्ट,स्कीइंग उपकरण)

क्रसं0	जनपद का नाम	सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष+परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	अल्मोडा	0	0.00
2	बागेश्वर	2	3.21
3	चम्पावत	0	0.00
4	टिहरी गढवाल	26	76.00
5	पिथौरागढ	0	0.00
6	नैनीताल	0	0.00
7	उधमसिह नगर	0	0.00
8	उत्तरकाशी	13	22.0
9	देहरादून	0	0.00
10	हरिद्वार	0	0.00
11	चमोली	0	0.00
12	पौडी	2	1.00
13	रूद्रप्रयाग	0	0.00
	योग	43	102.71

मनोरजन पार्क, थीम पार्क, नेचर पार्क आदि

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष + परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (लाख रू0 में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश
1	2	3	4	5
1	अल्मोडा	60	15.00	5.00
2	बागेश्वर	0	0.00	0.00
3	चम्पावत	0	0.00	0.00

4	टिहरी गढवाल	13	44.76	10
5	पिथौरागढ	0	0.00	0.00
6	नैनीताल	0	0.00	0.00
7	उधमसिह नगर	0	0.00	0.00
8	उत्तरकाशी	0	0.00	0.00
9	देहरादून	130	2000.00	0.00
10	हरिद्वार	65	25.00	1650.00
11	चमोली	0	0.00	0.00
12	पौडी	0	0.00	0.00
13	रूद्रप्रयाग	0	0.00	0.00
	योग	268	2084.76	1665.00

मोटर गैराज

क्र0सं0	जनपद का नाम	सृजित/सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष + परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	अल्मोडा	1	2.00
2	बागेश्वर	0	0.00
3	चम्पावत	0	0.00
4	टिहरी गढवाल	28	36.00
5	पिथौरागढ	20	35.50
6	नैनीताल	21	140.00
7	उधमसिह नगर	0	0.00
8	उत्तरकाशी	0	0.00
9	देहरादून	0	0.00
10	हरिद्वार	24	40.00
11	चमोली	5	3.93
12	पौडी	7	24.00
13	रूद्रप्रयाग	0	0.00
	योग	106	281.43

शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, सोविनियर शॉप, पी0सी0ओ0 / सूचना केन्द्र आदि

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सृजित / सृजित होने वाले रोजगार की संख्या (प्रत्यक्ष + परोक्ष)	हो चुका पूंजी निवेश (लाख रू0 में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	अल्मोडा	30	25.00	10.00
2	बागेश्वर	0	0.00	0.00
3	चम्पावत	3	1.75	0.00
4	टिहरी गढवाल	30	0.00	75.00
5	पिथौरागढ	5	3.50	5.00
6	नैनीताल	248	563.00	0.00
7	उधमसिह नगर	50	100.00	150.00
8	उत्तरकाशी	6	1.50	0.00
9	देहरादून	210	1398.50	35.00
10	हरिद्वार	56	207.00	0.00
11	चमोली	6	7.21	7.57
12	पौडी	30	34.73	34.73
13	रूद्रप्रयाग	0	0.00	0.00
		683	2342.19	3752.30

(7) विकास कार्यो के लिये धन की व्यवस्था कराना

विकास कार्यक्रम तब तक कोई अर्थ नहीं रखते जब तक उनके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था न हो, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं के लिये विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था कराता है जिनमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से धनाबंटन कराना आदि। इसी के साथ निजी उद्यमियों को पर्यटन व्यवसाय में भागीदारी के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं / बैकों आदि से ऋण दिलाना व राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन स्वरूप राज सहायता स्वीकृत कराकर उपलब्ध कराना। विभाग की वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रमुख उदाहरण है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2002 में उक्त योजना के आरम्भ होने के बाद से अगस्त, 2005 में 552 उद्यमियों को लाभान्वित कराया जा चुका है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में ऐसे 750 अन्य उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण निवेशकों के लिये राज्य में निवेश हेतु सुन्दर वातावरण एंव प्रक्रियाओं में सुगमता की व्यवस्था करना है। इस ओर कार्यवाही की जा रही है।

(8) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रदत्त लोक सेवाओं की सूची एंव उनका संक्षिप्त विवरण।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रदत्त लोक सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के शासन द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(1) उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास हेतु नीतियां/रणनीतियां तैयार करना।

(2) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ करने जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मलित है, हेतु दिशा–निर्देश एवं योजना तैयार करना।

(3) पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हिकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनको समयबद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।

(4) पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम, मानक व नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

(5) पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढावा देने हेतु योजना तैयार करना।

(6) परिषद् उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करेगी एवं उत्तराखण्ड को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी।

(7) पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

(8) उत्तराखण्ड में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तराखण्ड एवं उसके बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किया जायेगा।

(9) परिषद् पृथक–पृथक समितियों का गठन करेगी जिसमें विषय विशेषज्ञ होगे जो कि उपलब्ध संसाधनों का आकंलन, विकास योजनाओं को तैयार करेगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेगी।

(10) परिषद् पर्यटन परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन एवं परीक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं कन्सल्टेंट्, परामर्शदताओं, एजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकते है।

(11) उत्तराखण्ड के समस्त धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद् मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

(12) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् क्षेत्रीय/ जनपद स्तर पर अपनी सेवायें उपलब्ध करा रही है, जिनका संक्षित विवरण निम्नलिखित हैः–

1– राज्य में देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों का मार्गदर्शन करना एवं वांछित सूचनायें एवं पर्यटन साहित्य उपलब्ध कराना।

2– पर्यटक रूचि की सूचनाओं का समय–समय पर संकलन कर राइट–अप तैयार करना।

3– क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के वेतन/भत्तों एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आहरण एवं वितरण करना।

4– विभिन्न स्तरों पर पत्राचार का कार्य करना।

5– जिला योजना के प्रस्ताव तैयार कराना, उनका जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदन कराना व मुख्यालय को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित करना।

6– अन्य विकास योजनाओं जैसे– राज्य सेक्टर योजना, केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारियों की संस्तुति पर मुख्यालय को प्रेषित करना।

7– विभाग की विकास योजनाओं का विभिन्न स्तरीय पंचायतों की बैठकों में व्यापक प्रचार–प्रसार करना जैसे– नगर पंचायत, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत आदि।

8– जनपद स्तर की बैठकों में भाग लेकर विभाग का प्रतिनिधित्व करना।

9– पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने की दृष्टि से विभिन्न मेला अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

10– पर्यटक सुविधाओं का उपयोग करने में पर्यटकों की सहायता करना एवं उनकी शिकायतों/सुझावों का स्थानीय स्तर पर निराकरण कराना।

11– मुख्यालय/शासन स्तर की बैठकों में भाग लेना आदि।

(9) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का विभिन्न स्तरों (शासन, परिषद मुख्यालय, क्षेत्र, जनपद, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का विभिन्न स्तर पर संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः–

1–शासन स्तर परः–

(1)– प्रमुख सचिव पर्यटन/सचिव पर्यटन
(2)– अपर सचिव पर्यटन
(3)– अनु सचिव पर्यटन
(4)– अनुभाग अधिकारी

(5)– समीक्षा अधिकारी
(6)– सहायक समीक्षा अधिकारी

2– परिषद् स्तर पर संगठनात्मक ढांचा

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में सृजित पद
1	2	3	4
	श्रेणी–क		
1	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	आई0ए0ए0 सुपरटाईम	1
2	निदेशक पर्यटन	16400–20000	3
3	अपर निदेशक पर्यटन.	14300–18300	2
4	वित्त नियंत्रक	14300–18300	1
5	संयुक्त निदेशक पर्यटन.	12000–165000	2
6	उप निदेशक पर्यटन.	10000–15200	2
7	वरिष्ठ शोध अधिकारी	10000–15200	1
8	विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन.	10000–15200	2
	श्रेणी–ख		
9	प्रचार अधिकारी	8000–13500	1
10	शोध अधिकारी	8000–13500	1
11	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8000–13500	1
12	जनसम्पर्क अधिकारी	8000–13500	1
13	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	8000–13500	11
	श्रेणी–ग		
14	प्रभारी फैसलिटेशन सेल	6500–10000	1
15	सहायक लेखाधिकारी	6500–10000	1
16	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	1
17	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	2
18	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	5000–8000	4
19	संख्या सहायक	5000–8000	1
20	आशुलिपिक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	5000–8000	7
21	प्रधान लिपिक	5000–8000	13
22	लेखाकार	5000–8000	1
23	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1
24	स्वागत अधिकारी	5000–8000	22
25	सहायक स्वागत अधिकारी	4500–7000	11
26	वरिष्ठ सहायक	4500–7000	8
27	व्यवस्थापक	4500–7000	1
28	सहायक लेखाकार	4500–7000	2
29	अन्वेषक संगणक	4500–7000	1

30	आशुलिपिक/सह0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	4000–6000	2
31	वरिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	4000–6000	18
32	लेखा लिपिक कम कैशियर	4000–6000	1
33	टंकक लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050–4590	21
34	चालक	3050–4590	23
	श्रेणी–घ		
35	साईक्लोस्टाईल आपरेटर	2610–3540	1
36	अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–3200	48
	योग		220

उपरोक्त संगठानात्मक ढांचे की शासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या– प.अ./2001–315 पर्य/2001 दिनांक जनवरी, 2002 द्वारा प्रदान की गई है जो इस मैनुअल के अंत में संलग्न है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत शासन–मुख्यालय/मण्डल/जनपद/तहसील–ब्लॉक स्तरीय संगठनात्मक ढांचा।

शासन स्तर

1– अध्यक्ष (विभागीय मंत्री कैबिनेट स्तर)

2– उपाध्यक्ष (मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)

3– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन)

(1) वैयक्ति सहायक – 2

(2) चालक– 2

(3) चपरासी –2

मुख्यालय स्तर

1– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आई.ए.एस. सुपर टाइप)

2– अपर निदेशक पर्यटन (अवस्थापना)

(1) अपर निदेशक पर्यटन (अधिष्ठान/प्रशासन)

(2) उप निदेशक पर्यटन

(3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

3– निदेशक पूंजी निवेश एवं वित्त

(1) वित्त नियंत्रक

4– निदेशक नियोजन एवं परियोजना विकास

(1) सयुंक्त निदेशक पर्यटन

(2) वरिष्ठ शोध अधिकारी

(3) शोध अधिकारी

5– निदेशक (प्रचार–प्रसार एवं विपणन)

(1) उप निदेशक पर्यटन (फेसिलिटेशन सेल)

(2) प्रचार अधिकारी

(3) प्रभारी फेसिलिटेशन सेल

(4) जन सम्पर्क अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन, नई दिल्ली

6–	सहायक लेखाधिकारी	–	1
7–	कार्यालय अधीक्षक	–	4
8–	वरिष्ठ सहायक	–	8
9–	आशुलिपिक	–	7
10–	लेखाकार	–	1
11–	सहायक स्वागत अधिकारी–		1
12–	संख्या सहायक	–	1
13–	सप्रेषक	–	1
14–	व्यवस्थापक	–	1
15–	वरिष्ठ लिपिक	–	5
16–	सहायक लेखाकार	–	2
17–	लेखा लिपिक/कैशियर	–	1
18–	टंकक	–	6
19–	प्राप्ति प्रेषण लिपिक	–	1
20–	अन्वेषक	–	1
21–	चालक	–	5
22–	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	–	1
23–	चौकीदार	–	1
24–	चपरासी	–	21
25–	सफाई नायक	–	1
26–	डाक रनर	–	1

मण्डल स्तर (अधिनस्थ कार्यालय)

1–	विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी/अल्मोडा		2
2–	स्वागत अधिकारी	–	2
3–	प्रधान लिपिक	–	2
4–	वरिष्ठ लिपिक	–	2
5–	आशुलिपिक	–	2
6–	आशुलिपिक	–	2
7–	चालक	–	2
8–	चपरासी	–	2

जनपद स्तर

1–	जिला पर्यटन विकास अधिकारी–		11	(मण्डल स्तर पर जिला स्तर के कार्य सम्पादित होते है)
2–	स्वागत अधिकारी	–	11	
3–	प्रधान लिपिक	–	11	
4–	वरिष्ठ लिपिक	–	11	
5–	टंकक	–	11	
6–	चालक	–	11	
7–	चपरासी	–	11	

तहसील/ब्लाक स्तर

1–	स्वागत अधिकारी	–	9	(ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर जोशीमठ, रानीखेत,
2–	सहायक स्वागत अधिकारी–		9	कौसानी काठगोदाम, मसूरी, रेलवे स्टेशन हरिद्वार)
3–	चपरासी	–	9	–तदैव–

(10) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद एक ऐसा लोक प्राधिकरण है जिसके क्रिया कलाप राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकतर सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यवसायिक संगठनों/संस्थाओं/विभागों/व्यक्तियों से निकट का सम्बन्ध रखते है क्योंकि सम्पूर्ण पर्यटन ढांचा पर्यटक आवागमन पर आधारित है। पर्यटक जहां–जहां भ्रमणार्थ जाता है वहां पर उसकी रूचि के स्थल, कार्यक्रम, गतिविधियां, सुविधायें वहां के किसी न किसी विभाग/संगठन/संस्था/व्यवसायी एवं व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं

सहायता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह निर्धारित शुल्क का उन्हें भुगतान करता है। अतः उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद जो पर्यटक आवागमन एवं उसके विकास की व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज के विभिन्न जन संगठनों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा होती है तथा जिसके बिना वह अपने उद्देश्यों एवं दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ एक विदेशी पर्यटक जब भारत भ्रमण की इच्छा/कल्पना करता है तो उसे पहले अपने ही देश में सम्बन्धित विभाग से पास पोर्ट बनाने के लिए सम्पर्क करना होता है, उसके बाद उसके देश में स्थित सम्बन्धित देश के दूतावास से वीजा बनाने हेतु, विभिन्न वायु सेवा एजेन्सियों/कम्पनियों से यात्रा टिकट के आरक्षण हेतु, गंतव्य देश में पहुंचने के बाद आवास एवं भोजन व्यवस्था हेतु होटल प्रबन्धकों, भ्रमण हेतु ट्रैवल एजेन्सियों (जैसे– रेल, सड़क, वायु सेवा सम्बन्धी) मार्गदर्शन हेतु पर्यटन विभाग/संगठन अथवा टुअर आपरेटरों से सम्पर्क करना होता है। यही नहीं, उसे हेयर ड्रेसर, घोबी, रेस्तरां, डाक्टर, कैमिस्ट, पुलिस, डाकघर, टेलीफोन आदि न जाने कितने विभागों/संगठनों/संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनको सुविधाजनक तरीके से प्राप्त कराने में उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्/संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह तभी सम्भव है जब विभाग/परिषद को जन–जन से स्वाभाविक सहयोग प्राप्त हो। इस हेतु भी उक्त लोक प्राधिकरण का इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया है। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद समाज के विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों से समन्वय सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसके लिए जन सहयोग की परम आवश्यकता है। संक्षेप यह कहना उपयुक्त होगा कि यह उक्ति पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है कि '' Tourism is everyone's busines'' अर्थात पर्यटन व्यवसाय में प्रत्येक जन की भागीदारी है, पर्यटकों के रूप में आने वाले अतिथियों से सद्व्यवहार से लेकर पर्यटन व्यवसाय में महत्तम भागीदारी कर क्षेत्रीय जनता इस व्यवसाय से लाभान्वित होगी। साथ ही प्रदेश में आने वाले अतिथि प्रदेश की एक अच्छी छवि अपने साथ ले जा सकेंगे।

(11) जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जो विभिन्न विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने एवं शासन से उन्हें स्वीकृत कराने में यह प्रयास करता है कि सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकाधिक जनता की भागीदारी हो सके। इस हेतु ऐसी विभिन्न योजनायें भी चलाई गई है जिनमें जनता के लिए अनेक प्रोत्साहन, रियायतें, छूट आदि का प्राविधान हो। साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि विकास योजनाओं से जहां एक ओर पर्यअकों को अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त हो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता को भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभ प्राप्त हो जैसे स्वरोजगार एवं अनुदान आदि।

(12) जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निकराकरण की व्यवस्था

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा अपने सभी स्तरों पर अर्थात, परिषद मुख्यालय, मण्डल स्तर, जनपद स्तर पर पर्यटकों एवं जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के अनुश्रवण एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों/शिकायतों के निराकरण की समुचित व्यवस्था की गई है। तद्नुसार जिला स्तर पर जिला पर्यटक कार्यालयों में सूचना पटल स्थापित किये गये है जहां पर उनके मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है जैसे– पर्यटन साहित्य एवं मार्गदर्शन मानचित्र, जनता के लिये चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं संबंधी मार्गदर्शन/समस्याओं का निराकरण, उनके आवेदन पत्र उपलब्ध कराना आदि। एक सुझाव एवं शिकायता पंजिका प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध होगी। जिसमें जनता/पर्यटकों द्वारा अपने सुझाव/शिकायत दर्ज की जा सकती है। इनका यथासम्भव वहीं पर निस्तारण किया जायेगा। निस्तारण जिला स्तर का न होने की दशा में सुझाव/शिकायत नीचे स्तर के कार्यालयों द्वारा परिषद मुख्यालय को अविलम्ब भेजे जायेगे यदि किसी सुझाव/शिकायत का निस्तारण मुख्यालय द्वारा सम्भव न हो तो उसको अविलम्ब शासन के संज्ञान में लाया जायेगा और निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

(13) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के मुख्यालय एवं विभिन्न स्थलों पर स्थित कार्यालयों के पते

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास द्वारा उत्तरांचल में विभिन्न स्थलों पर निम्नलिखित कार्यालय स्थापित किये गये है:–

क्रसं0	कार्यालय का नाम	दूरभाष नम्बर/ मोबाइल नम्बर
1	कार्यालय, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, 3/3 इण्डस्ट्रीएल एरिया, पटेलनगर, देहरादून।	0135–2624147/2721289 9412998503
2	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, 45– गांधी रोड, देहरादून	0135– 2653217/ 9412998506
3	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, राही मोटल, हरिद्वार	01334–265304/ 9412998507
4	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नरेन्द्रनगर	01378–227508/
5	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, रूद्रप्रयाग	01364– 233995
6	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, पौडी	01368–222241/ 9412998508
7	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, गोपेश्वर	01372–253185/ 9412998509
8	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, उधमसिंह नगर	05944– 239219 / 9412998514
9	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल	05942–235337/ 9412998513
10	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, चम्पावत	05965–230866/ 9412998516
11	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ	05964– 225527/ 9412998515
12	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर	05963–221562 / 9412998517
13	क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, अल्मोडा	05962–230180 / 9412998512
14	विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन कार्यालय, अल्मोडा	05962– 237760/9412998511
15	विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन कार्यालय, उत्तरकाशी	01374– 274667

16	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, माल रोड, मसूरी	0135– 2632863
17	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, रेलवे स्टेशन हरिद्वार	01334– 265305
18	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, ऋषिकेश	0135– 2430209
19	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, कोटद्वार	01382–224162
20	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, श्रीनगर	01346– 250065
21	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, जोशीमठ	01389– 222181
22	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, रेलवे स्टेशन काठगोदाम	05946–266638
23	कार्यालय, स्वागत अधिकारी,रानीखेत	0.5966– 220227
24	कार्यालय, स्वागत अधिकारी, कौसानी	05962– 258067
25	जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, कार्यालय, 102 इन्द्रप्रस्थ बिल्डिंग, 21– बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली	011–23354177 / 9818128837

नोटः– इस मैनुअल में दिये गये विवरण से सम्बन्धित शासनादेश/नियम/कार्यालय आदेश/परिपत्र आदि संलग्न है।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
सं. पं.अ./2001–315 पर्य–2001
सचिवालय, देहरादून
दिनांक : जनवरी 2002

कार्यालय ज्ञाप

शासकीय अधिसूना सं.–205/प.अ./2001–115 पर्य/2001 दिनांक 27 दिसम्बर 2001 एवं 239 प.अ./2001 –115पर्य./2001 दिनांक 7 जनवरी, 2002 के क्रम में उत्तराचंल राज्य में पर्यटन की संभावनाओं एवं भविष्य में पर्यटन व्यवसाय के कार्य व्यापार को सम्पादित कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय जनपद स्तर पर निम्न पद संरचना निर्धारित/पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत
परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय पद संरचना

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पर्वतीय उपसंवर्ग में सृजित पद	वर्तमान में सृजित पद
श्रेणी – क				
1	अपर मुख्य कार्यकारी, अधिकारी	आई.ए.एस. सुपरटाईम	–	1
2	निदेशक पर्यटन	16,400–20,000	1	3
3	अपर निदेशक पर्यटन	14,300–18,300	–	2

4	वित्त नियंत्रक	14,300–18,300	–	1
5	संयुक्त निदेशक पर्यटन	12,000–16,500	1	2
6	उप निदेशक पर्यटन	10,000–15,200	2	2
7	वरिष्ठ शोध अधिकारी	10,000–15,200	–	1
8	विशेष कार्याधिकारी (साहसिक पर्यटन)	10,000–15,200	2	2
9	सहायक निदेशक पर्यटन	8,550–14,600	2	–
	योग श्रेणी– क		8	14
	श्रेणी – ख			
10	प्रचार अधिकारी	8,000–13,500	1	1
11	शोध अधिकारी	8,000–13,500	–	1
12	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8,000–13,500	–	1
13	जन सम्पर्क अधिकारी	8,000–13,500	–	1
14	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	8,000–13,500	5	11
15	वित्त एवं लेखाधिकारी	8,000–13,500	1	–
	योग श्रेणी – ख		7	15
	श्रेणी – ग			
16	प्रभारी, फेसलिटेशन सैल	6,500–10,000	–	1
17	सहायक लेखाधिकारी	6,500–10,000	–	1
18	प्रशासनिक अधिकारी	5,500–9,000	–	1
19	वैयक्तिक सहायक	5,500–9,000	1	2
20	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड 11	5,500–8,000	2	4
21	संख्या सहायक	5,500–8,000	1	1
22	आशुलिपिक/सह0 डाटा इन्ट्री आपरेटर	5,500–8,000	1	7
23	प्रधान लिपिक	5,500–8,000	–	13
24	लेखाकार	5,500–8,000	–	1
25	सम्प्रेक्षक	5,500–8,000	–	1
26	स्वागत अधिकारी	5,500–8,000	10	22
27	वरिष्ठ सहायक	4,500–7,000	9	8
28	व्यवस्थापक	4,500–7,000	–	1
29	सहायक लेखाकार	4,500–7,000	4	2
30	अन्वेषक संगणक	4,500–7,000	1	1
31	सहायक स्वागत अधिकारी	4,500–7,000	7	11
32	आशुलिपिक	4,500–7,000	1	–
33	वरिष्ठ लिपिक/सह. डाटा इन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	1	18
34	लेखालिपिक/कैशियर	4,000–6,000	1	1
35	आशुलिपिक/सह. डाटा इन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	9	2

36	स्वागती	4,000–6,000	20	–
37	सहायक स्वागती	3,050–4,590	7	–
38	उर्दू अनुवादक	3,050–4,590	1	–
39	कनिष्ठ लेखालिपिक	3,050–4,590	7	–
40	टंकक लिपिक/सह. डाटा इन्ट्री आपरेटर/प्राप्ति प्रेषण लिपिक	3,050–4,590	26	21
41	चालक	3,050–4,590	12	23
योग श्रेणी–ग			121	142
श्रेणी–घ				
42	साइक्लोस्टाईल आपरेटर	2,610–3,540	1	1
43	दफ्तरी	2,610–3,540	–	–
44	अन्य तचुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2,550–3,200	53	48
योग श्रेणी–घ			54	49
महायोग			190	220

1. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद का मुख्यालय देहरादून किया जायेगा उपरोक्त तालिका का अन्तिम स्तम्भ वर्तमान में सृजित पद ही अब सृजित समझा जायेगा इस प्रकार पूर्व में पर्यटन निदेशालय के अन्तर्गत सृजित समस्त पदों की भर्ती समझते हुये उपरोक्त पदों को सृजित पद समझा जायेगा।

2- पर्यटन निदेशालय (पर्वतीय) उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों का कार्यानुभव एवं उपयोगिता के आधार पर उपरोक्त पद संरचना में समायोजित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 में उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत कार्यरत समायोजित समस्त कार्मिकों का वेतन आहरण पूर्व की भांति किया जाता रहेगा। उपरोक्त समस्त पदों को आयव्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में सृजित समझा जाये एवं तदनुसार ही आगामी वित्तीय वर्षों हेतु वेतन/अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय पद संरचना का विस्तृत विवरण पदनाम वे वेतनमान सहित, परिशिष्ट–1, 2 व 3 पद संलग्न है। उसके अनुरूप ही कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाये। जनपद अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी में जिला पर्यटक कार्यालय विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन के कार्यालयों में समायोजित कर दिये गया हैं। तदनुसार इन कार्यालयों का समायोजन सुनिश्चित किया जाये।

3- जो पद संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके सम्बंध में यथाशीध्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायें तथा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही यथाशीध्र सुनिश्चित की जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने व शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

ह0/–

(एन.एन. प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन सं. प.अ./2001–315 पर्य./2001 तद्दिनांकित

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2- सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन।
3- मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
4- महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
5- समस्त सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, पटेलनगर, देहरादून।
7- आयुक्त गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।
8- समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9- समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
10- समस्त जनपद अधिकारी पर्यटन विभाग उत्तरांचल।
11- गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र सं. ...../2000–..... दिनांक 15 अक्टूबर 2001 को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश के माध्यम से माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 12–10–2001 को कार्यावली मद से –2 पर दिये गये आदेशों का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(एन. एन. प्रसाद)
सचिव